

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)**

प्रकरण संख्या 10/2025

उनवान

1. देबी लाल पुत्र श्री खुराज बलाई नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
2. सुन्दर पत्नी श्री खुराज बलाई नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमा पुत्र श्री प्यारा बलाई नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
2. सोना पत्नी श्री माधु बलाई नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
3. लेहरी पत्नी श्री डालू बलाई नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री बंशी लाल बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
5. पवन पुत्र श्री बंशी लाल बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
6. जानी पत्नी श्री बंशी लाल बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
7. छगू पत्नी श्री उदा बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
8. रतन पुत्र श्री भीमराज बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
9. मांगी पत्नी श्री कालू बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
10. बचोपी पत्नी श्री लादू बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
11. नारायण पुत्र श्री चुना बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
12. बालू पुत्र श्री प्यारा बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
13. गंगा पत्नी श्री सोहन बैरवा नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
14. भैरू पुत्र श्री नानू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
15. मूला पुत्र श्री नानू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
16. रतना पुत्र श्री नानू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
17. बरदा पुत्र श्री नानू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
18. गीता पत्नी श्री नारायण खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
19. देउ पत्नी श्री सोहन खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
20. देउ पत्नी श्री मांगू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
21. प्रभु पुत्र श्री मांगू खटीक नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
22. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामनिवास भांबी नि० गठिलाखेडा तह० भीलवाडा एवं जिला भीलवाडा (राजत्र)
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा । (राज.)

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**  
**निर्णय दिनांक 18-03-2025**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23-12-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बरडौद प०ह० बरडौद भू०अ०नि० बरडौद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 153 की आ.न. 1209 रकबा 0.2276 है०, आ.न. 1212 रकबा 0.2529 है०, आ.न. 1218/2 रकबा 0.0885 है०, आ.न. 826 रकबा 0.1265 है०, आ.न. 834/2 रकबा 0.1265 है०, कुल किता 05 रकबा 0.8220 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-01-2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 22 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बरडौद प0ह0 बरडौद भू0अ0नि0 बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 153 की आ.न. 1209 रकबा 0.2276 है0, आ.न. 1212 रकबा 0.2529 है0, आ.न. 1218/2 रकबा 0.0885 है0, आ.न. 826 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 834/2 रकबा 0.1265 है0, कुल कित्ता 05 रकबा 0.8220 है0, भूमि स्थित है जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहल शीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)